करन सिंह

बनाम

मैसर्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हरियाणा राज्य विपणन बोर्ड

सितंबर 28,2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और एस. एच. कपाडिया, जे. जे.]

श्रम कानूनः

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947-धारा 10 (1) और 25 च - कार्मिक द्वारा विवाद को उठाने में विलंब- धारा 25 च के उल्लंघन करते हुए उसकी सेवा समाप्ती को चुनौती दी- वाद का संदर्भ - दावा विलंब के एकमात्र कारण के कारण खारिज कर दिया गया इसके बावजूद सेवा समाप्ति धारा 25 च का उल्लंघन था- श्रम न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा - अपील में, अभिनिर्धारित किया गया: विलंब के एकमात्र आधार पर संदर्भ गलत तरीके से अमान्य किया गया - जैसा कि सरकार द्वारा संदर्भ दिया गया तथा श्रम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सेवा समाप्ति धारा 25 च का उल्लंघन था - नियोक्ता के लिए उपलब्ध उपचार रिट याचिका के माध्यम से संदर्भ को चुनौती देना था - समय की लंबी अवधि गुजरने के मद्देनजर और देरी के लिए स्पष्टीकरण के अभाव में, नियोक्ता को 60,000 रुपये पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया।

औद्योगिक न्यायाधिकरण के संदर्भ की मांग में विलंब का निर्धारण -अभिनिर्धारित: यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

अपीलकर्ता-कार्मिक ने प्रतिवादी-बोर्ड द्वारा उसकी सेवा समाप्ति के 6 साल बाद इस आधार पर दावा किया कि सेवा समाप्ति औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-च का उल्लंघन था। राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 10(1) के तहत श्रम न्यायालय को संदर्भ दिया, हालांकि श्रम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सेवा समाप्ति धारा 25 च का उल्लंघन था, नियोक्ता के पक्ष में संदर्भ का उत्तर दिया - बोर्ड ने इस आधार पर कि दावा करने में अत्यधिक विलम्ब किया गया था। श्रम न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए उसके विरुद्ध रिट याचिका भी खारिज कर दी गई।

इस न्यायालय में अपील में विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या कार्मिक के संदर्भ को देरी के एकमात्र आधार पर खारिज किया जा सकता है, जबकि सरकार ने स्वयं विवाद के निर्णय के लिए संदर्भ दिया था।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के तहत औद्योगिक न्यायाधिकरण को समुचित सरकार के संदर्भ पर ही औद्योगिक विवाद पर निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार मिलता है। औद्योगिक न्यायाधिकरण देरी के आधार पर संदर्भ को अमान्य नहीं कर सकता। यदि नियोक्ता कहता है कि कार्मिक ने पुराना दावा किया है तो नियोक्ता को रिट याचिका के माध्यम से संदर्भ को चुनौती देनी चाहिए और कहना चाहिए कि चूंकि दावा देर से किया गया है, इसलिए कोई औद्योगिक विवाद नहीं था। [पैरा 9) (429-डी-ई}

मैनेजमेंट एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम कार्मिक व अन्य, एआईआर (1963) एससी 569 और नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, (2000) 1 एससीसी 371, संदर्भित।

2. वर्तमान मामले में, औद्योगिक न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया है कि नियोक्ता ने धारा 25 च का उल्लंघन किया है। यदि ऐसा है, तो सेवा समाप्ति का आदेश कानून की नजर से बुरा है हालाँकि, न्यायाधिकरण ने विलंब के आधार पर कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। न्यायाधिकरण के पास इस संदर्भ को अमान्य करने का कोई अधिकार नहीं है विशेष रूप से जब यह पाया गया है कि सेवा समाप्ति का आदेश अधिनियम की धारा 25 च का उल्लंघन करता है। (पैरा 9] [429-एफ]

3. जहां तक संदर्भ मांगने में देरी का सवाल है, सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। [पैरा 11] (430-डी)

4. वर्तमान मामले की पृष्ठभूमि में आम तौर पर श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया जाता है। लेकिन लंबा समय बीत जाने के कारण, यह अनुचित होगा, खासकर तब जब अपीलकर्ता ने देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है। तदनुसार यह निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी-बोर्ड अपीलकर्ता के अधिकारों के पूर्ण और अंतिम निपटान में 60,000/- रुपये की राशि का भुगतान करेगा। [पैरा 15 और 16) [432-एफ-जी]

नेदुंगडी बैंक लिमिटेड बनाम के. पी. माधवनकुट्टी और अन्य, (2000] 2 एससीसी 455; एस.एम. निलजकर और अन्य बनाम टेलीकॉम जिला प्रबंधक, कर्नाटक, (2003] 4 एससीसी 27; मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की सुदामदीह कोलियरी का प्रबंधन बनाम उनके कर्मचारी राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ द्वारा प्रतिनिधित्व, (2006) 1 सर्वोच्च 282 और मुख्य अभियंता, रंजीत सागर दाम और अन्य बनाम शाम लाल, (2006] 9 एससीसी 124, पर भरोसा किया गया।

सपन कुमार पंडित बनाम यूपी राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य [2001] 6 एससीसी 222, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4561/2007

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 5442/2005 दिनांक 11.4.2005 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न।

अपीलकर्ता की ओर से: जसबीर सिंह मलिक और एसके सभरवाल।

प्रतिवादी की ओर से: अजय सिवाच और टीवी जॉर्ज।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश डॉ. अरिजीत पासायत के द्वारा दिया गया था।

1. अनुमति दी गई।

2. इस अपील में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय, हिसार द्वारा दिए गए निर्णय की शुद्धता पर सवाल उठाने वाले अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया।

3. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 10(1) के संदर्भ में हरियाणा राज्य सरकार द्वारा श्रम न्यायालय को दिए गए संदर्भ का उत्तर प्रतिवादी के पक्ष में दिया गया था (इसके बाद इसे 'बोर्ड' संदर्भित किया जाएगा) ने माना कि दावा बहुत विलंब किया गया था और इसलिए अपीलकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं है।

4. तथ्यात्मक पहलुओं का एक संक्षिप्त संदर्भ पर्याप्त होगा।

अपीलकर्ता को अगस्त 1993 में डीपीएल के रूप में नियुक्त किया गया था और उसने अक्टूबर 1994 तक काम किया। अपीलकर्ता के अनुसार उसकी सेवाएं बिना किसी आरोप पत्र या किसी जांच के समाप्त कर दी गईं, जबकि उसने 240 दिनों से अधिक समय तक काम किया था। उस संदर्भ में यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 25 च के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया। उन्होंने सभी पारिणामिक लाभों के साथ पूरे बकाया वेतन के साथ बहाली की प्रार्थना की थी। दावाकर्ता जिसे डबल्यूडबल्यू -1 के रूप में परीक्षित किया गया था, उसने कहा था कि वह 1.8.1993 को डीपीएल के रूप में प्रतिवादी-बोर्ड में सेवा प्रारम्भ की थी और उसे प्रति माह 1120/- रुपये मिल रहे थे। और अक्टूबर 1994 तक लगातार काम किया था जब उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। शिकायत की गई कि उनके कनिष्ठ श्रमिकों को नियमित कर दिया गया था और उसके मामले में सेवा समाप्त कर दी गई थी।

प्रतिवादी-बोर्ड ने यह रुख अपनाया कि दावेदार की सेवाएं डीपीएल के रूप में आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक थीं और उसने वास्तव में 240 दिन पूरे नहीं किए थे। यह रुख अपनाया गया कि दावा बहुत देर से किया गया था। गौरतलब है कि जिरह में अपीलकर्ता ने स्वीकार किया था कि उसके पास अगस्त 1993 से अक्टूबर 1994 तक काम करने का कोई सबूत नहीं है। दावा याचिका वर्ष 2000 में दायर की गई थी। पहला नोटिस दिनांक 6.6.2000 का था और सुलह की विफलता पर, 8.2.2001 को संदर्भ दिया गया था। अपीलकर्ता को अपनी ओर से निष्क्रियता के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए था। श्रम न्यायालय ने माना कि दावा बहुत देर से किया गया था। यदि अपीलकर्ता को लगता है कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना सेवा समाप्ति का आदेश अवैध था, तो उसे उचित समय के भीतर मांग (डिमांड) नोटिस देना चाहिए था। यह माना गया कि यद्यपि कोई सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद बंद

अध्याय को फिर से खोलना असमान होगा। इसलिए अपीलकर्ता को किसी भी राहत का हकदार नहीं माना गया।

अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि मांग (डिमांड) नोटिस छह साल बाद उठाया गया था।

5. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं है और दावे को खारिज करने के बजाय अधिक से अधिक राहत दी जा सकती थी।

6. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया।

7. अपील में निर्धारण हेतु जो मुख्य मुद्दा उठता है वह इस प्रकार है

"क्या याचिकाकर्ता/कर्मचारी के संदर्भ को देरी के एकमात्र आधार पर खारिज किया जा सकता है, जबकि सरकार ने स्वयं मुद्दे/विवाद के निर्णय के लिए संदर्भ दिया था।"

8. मैनेजमेंट एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (प्राइवेट) लिमिटेड बनाम श्रमिक और अन्य एआईआर (1963) एससी 569 में रिपोर्ट किए गए इस मामले में यह माना गया है कि औद्योगिक विवादों से निपटने में का क्षेत्राधिकार धारा 10(4) में उल्लिखित बिंदुओं तक सीमित है।

9. नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में, [2000] 1 एससीसी 371 पैरा 24 के तहत यह माना गया है कि उच्च न्यायालय के पास रिट याचिका पर विचार करने का क्षेत्राधिकार है जब कोई आरोप हो

कि कोई औद्योगिक विवाद नहीं है जो धारा 10 के तहत औद्योगिक न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए संदर्भ का विषय हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि औद्योगिक विवाद का अस्तित्व एक क्षेत्राधिकार से संबन्धित तथ्य है। ऐसे क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य के अभाव के परिणामस्वरूप संदर्भ अमान्य हो जाता है। उदाहरण के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत भी, जैसा कि पहले था, आयकर अधिकारी के पास आय के निकास पर विश्वास करने का कारण होना चाहिए। यह "विश्वास करने का कारण" एक क्षेत्राधिकार से संबन्धित तथ्य है, इसलिए, रिट याचिकाएं उन मामलों में सुनवाई योग्य थीं जहां उच्च ने मूल्यांकन को फिर से खोलने के लिए बुनियादी तथ्यों की अनुपस्थिति पाई। धारा 10 के तहत औद्योगिक न्यायाधिकरण को उचित सरकार के संदर्भ पर ही औद्योगिक विवाद पर निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार मिलता है। औद्योगिक न्यायाधिकरण देरी के आधार पर संदर्भ को अमान्य नहीं कर सकता। यदि नियोक्ता कहता है कि कामगार ने पुराना दावा किया है तो नियोक्ता को रिट याचिका के माध्यम से संदर्भ को चुनौती देनी चाहिए और कहना चाहिए कि चूंकि दावा देर से किया गया है, इसलिए कोई औद्योगिक विवाद नहीं था। औद्योगिक न्यायाधिकरण इस आधार पर संदर्भ को रद्द नहीं कर सकता। वर्तमान मामले में, औद्योगिक न्यायाधिकरण ने माना है कि नियोक्ता ने धारा 25 च का उल्लंघन किया है। यदि हां, तो सेवा समाप्ति का आदेश कानून की नजर में गलत है। इसे नष्ट करना होगा। वर्तमान मामले में, इसे ख़त्म कर दिया गया है। हालाँकि, न्यायाधिकरण ने देरी के आधार पर कोई राहत देने से इनकार कर दिया था। न्यायाधिकरण के पास संदर्भ को अमान्य करने का कोई अधिकार नहीं है, खासकर जब उसने पाया है कि सेवा समाप्ति का आदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 च का उल्लंघन करता है।

10. सपन कुमार पंडित बनाम यूपी राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य [2001] 6 एससीसी 222 में, इसे पैरा 15 के तहत निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"ऐसे मामले हैं जिनमें समय की चूक के कारण विवाद फीका पड़ गया या यहां तक कि विवाद खत्म हो गया। यदि किसी ने लंबे अंतराल के दौरान विवाद को जीवित नहीं रखा था, तो किसी विशेष मामले में यह निष्कर्ष निकालना उचित रूप से संभव है कि कुछ समय के बाद विवाद समाप्त हो गया। लेकिन जब विवाद जीवित रहता है, हालांकि अन्य उचित कारणों से श्रमिकों या संघ द्वारा इसे बढ़ावा नहीं दिया जाता है, तो यह विवाद को पूर्ण ग्रहण में बदलने का कारण नहीं बनता है। इस मामले में, जब सरकार ने विवाद को निर्णय के लिए संदर्भित करने का विकल्प चुना है यूपी अधिनियम की धारा 4-के के तहत उच्च न्यायालय को केवल देरी के आधार पर संदर्भ को रद्द नहीं करना चाहिए था। बेशक, निर्णय लेने में लंबी देरी पर निर्णय लेने वाले अधिकारियों द्वारा अपनी राहतें तय करते समय विचार किया जा सकता है। वह बिल्कुल अलग मामला है. उच्च न्यायालय ने न्यायनिर्णयन के लिए सरकार द्वारा दिए गए संदर्भ के आदेश को रद्द करके स्पष्ट रूप से गलत किया है। न्यायनिर्णयन प्रक्रिया को कानूनी परिणति तक पहुँचने दीजिए।"

11. जहां तक संदर्भ मांगने में देरी का सवाल है, सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

12. हालाँकि, इस न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नेदुंगडी बैंक लिमिटेड बनाम के.पी.माधवनकुट्टी और अन्य [2000] 2 एससीसी 455 पैराग्राफ 6 में इसे इस प्रकार अभिलिखित किया गया था:

"6. कानून उचित सरकार के लिए अधिनियम की धारा 10 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि इस शक्ति का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है और उन मामलों को पुनर्जीवित करने के लिए किया जा सकता है जो पहले ही सुलझ चुके हैं। शक्ति इसका प्रयोग यथोचित और तर्कसंगत तरीके से किया जाना चाहिए। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा कोई तर्कसंगत आधार नहीं है जिसके आधार पर केंद्र सरकार ने प्रतिवादी को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश के लगभग सात साल बीत जाने के बाद इस मामले में शक्तियों का प्रयोग किया हो। उस समय संदर्भ दिया गया था, कोई औद्योगिक विवाद मौजूद नहीं था या यह भी कहा जा सकता है कि इसकी आशंका थी। जो विवाद पुराना है वह अधिनियम की धारा 10 के तहत संदर्भ का विषय नहीं हो सकता है। किसी विवाद को कब पुराना कहा जा सकता है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जब मामला अंतिम हो गया है, तो हमें यह असंगत प्रतीत होता है कि वर्तमान परिस्थितियों जैसी परिस्थितियों में अधिनियम की धारा 10 के तहत संदर्भ दिया जाए। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि जिस समय प्रश्न का संदर्भ दिया गया था उस समय कोई विवाद लंबित नहीं था। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तावित एकमात्र आधार यह था कि दो अन्य कर्मचारी जिन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, उन्हें बहाल कर दिया गया था। किन परिस्थितियों में उन्हें बर्खास्त किया गया और बाद में बहाल किया गया, इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है।

औद्योगिक विवाद उठाने के लिए प्रतिवादी द्वारा उठाई गई मांग प्रथम दृष्टया अनुपयुक्त और अयोग्य थी।"

13. एस.एम. निलजकर और अन्य बनाम टेलीकॉम जिला प्रबंधक, कर्नाटक, [2003] 4 एससीसी 27 में स्थिति को इस प्रकार दोहराया गया था: (पैरा 17 पर)

"17. प्रतिवादी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ताओं द्वारा विवाद उठाने में देरी के कारण उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को राहत देने से इनकार करना उचित था। हम सहमत नहीं हो सकते। यह सच है, जैसा कि मैसर्स शालीमार वर्क्स लिमिटेड बनाम उनके कार्मिक (पूर्वोक्त) एआईआर (1959) एससी 1217, में कहा गया है कि केवल इसलिए कि औद्योगिक विवाद अधिनियम विवाद उठाने के लिए कोई सीमा प्रदान नहीं करता है, इसका मतलब यह नहीं है कि विवाद किसी भी समय और देरी और कारणों की परवाह किए बिना उठाया जा सकता है। विवादों को औद्योगिक न्यायाधिकरण में संदर्भित करने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है, फिर भी यह उचित है कि विवादों को उत्पन्न होने के बाद और सुलह कार्यवाही विफल होने के बाद जितनी जल्दी हो सके संदर्भित किया जाना चाहिए, खासकर तब जब विवाद बड़े पैमाने पर श्रमिकों की सेवा मुक्ति से संबंधित हो। मैसर्स शालीमार वर्क्स लिमिटेड बनाम उनके कार्मिक (पूर्वोक्त) एआईआर (1959) एससी 1217, में अधिकांश पुराने कामगारों की पुनर्नियुक्ति के बाद भी विवाद को उठाने में 4 साल की देरी को घातक माना गया। नेदुंगडी बैंक लिमिटेड बनाम के.पी. माधवनकुट्टी और अन्य (पूर्वोक्त) एआईआर

(2000) एससी 839, में 7 साल की देरी को घातक माना गया और कार्मिक किसी भी राहत के हकदार नहीं थे।

रतन चंद्र समानता और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (पूर्वोक्त) (1993) एआईआर एससीडब्ल्यू 2214 में यह माना गया कि नियोक्ता द्वारा छंटनी किया गया एक आकस्मिक मजदूर देरी के कारण खुद को कानून में उपलब्ध उपचार से वंचित कर देता है, समय बीतने के परिणामस्वरूप उपचार और अधिकार भी खो जाता है। देरी निश्चित रूप से घातक होगी यदि इसके परिणामस्वरूप निर्णय से संबंधित भौतिक साक्ष्य खो गए और उपलब्ध नहीं हुए। हालाँकि, हमें नहीं लगता कि मामले में देरी इतनी दोषी है कि अपीलकर्ताओं को किसी भी राहत से वंचित किया जा सके। हालाँकि उच्च न्यायालय की राय है कि विवाद को न्यायाधिकरण के समक्ष उठाने में 7 से 9 साल की देरी हुई, लेकिन हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है अपीलकर्ताओं का रोजगार 1985-86 या 1986-87 में किसी समय समाप्त कर दिया गया था। पी एंड टी विभाग बनाम भारत संघ (पूर्वोक्त) एआईआर (1987) एससी 2342 के तहत दैनिक दर आकस्मिक कार्मिक मामले में निर्णय के अनुसार, विभाग आकस्मिक मजदूरों को समायोजित करने के लिए एक योजना तैयार कर रहा था और अपीलकर्ताओं को उसके परिणाम की प्रतीक्षा करना उचित था। 16-1-1990 को उन्हें योजना में समायोजित करने से इंकार कर दिया गया। 28-12-1990 को उन्होंने औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की, जिसके बाद सुलह की कार्यवाही की गई और फिर विवाद को औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय में

भेजा गया हमें नहीं लगता कि अपीलकर्ता देरी के आधार पर वाद दायर नहीं करने के पात्र हैं।"

14. उपरोक्त स्थिति हाल ही में मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सुदामदीह कोलियरी के प्रबंधन बनाम उनके कार्मिक राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ द्वारा प्रतिनिधित्व, (2006) 1 सर्वोच्च 282 व मुख्य अभियंता, रंजीत सागर दाम और अन्य बनाम शाम लाल [2006] 9 एससीसी 124 उनके श्रमिकों के संबंध में नियोक्ताओं में उजागर की गई थी।

15. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हम आम तौर पर श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते है। लेकिन लंबा समय बीत जाने के कारण, यह अनुचित होगा, खासकर तब जब अपीलकर्ता ने देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है।

16. तदनुसार हम निर्देश देते हैं कि प्रतिवादी-बोर्ड अपीलकर्ता के अधिकारों के पूर्ण और अंतिम निस्तारण के 6 सप्ताह की अवधि के भीतर 60,000/- रुपये की राशि का भुगतान करेगा।

17. उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

के.के.टी.

अपील स्वीकार की गई।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक विनोद कुमार उज्जैनिया द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।